कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– [illegible] agri.bih@gmail.com

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture

संचिका संख्या:– मो०–52/21 (सांख्यिकी) 3403 ... दिनांक 03 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2021

प्रेषक,

महत्वपूर्ण

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी,
पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, प० चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार।

विषय : **वर्ष 2021 में मई माह के अन्तिम सप्ताह में यास तुफान से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के प्रतिवेदित पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि वर्ष 2021 में मई माह के अन्तिम सप्ताह में यास तुफान से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण प्रतिवेदित 16 जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के प्रतिवेदित पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अविलम्ब अपर समाहर्ता, साहाय्य/प्रभारी पदाधिकारी, साहाय्य को नामित करते हुए उनका E-mail तथा Mobile No उपलब्ध कराये ताकि उन्हें Login ID एवं Password उपलब्ध कराया जा सके।

अनु० : क्रियान्वयन अनुदेश।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3403 दिनांक : 03/09/2021

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3403 दिनांक : 03/09/2021

प्रतिलिपि : सम्बन्धित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

ज्ञापांक : 3403 दिनांक : 03-09-2021

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3403 दिनांक : 03-09-2021

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(शष्य) योजना, बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक(उद्यान)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य) प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) दियारा एवं चौर विकास–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(यास तुफान – 2021)

वर्ष 2021 में मई माह के अन्तिम सप्ताह में यास तुफान से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण प्रतिवेदित 16 जिलों यथा पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, प० चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार के 95 प्रखंडों के 1365 पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में वर्ष 2021 में मई माह के अन्तिम सप्ताह में यास तुफान से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण प्रभावित फसलों के लिए प्रभावित किसानों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

1.2 **अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से हुये फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर।

b) सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर।

c) उद्यानिक/पेरेनियल फसल के लिए 18000 रू० प्रति हेक्टेयर।

1.3 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया अनुदान देय है। उद्यानिक/पेरेनियल फसल के लिए न्यूनतम 2000 रूपया अनुदान देय है।

1. अनुदेश :

2.1 इस योजना का लाभ प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2.2 **वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत किसान हैं, वे सीधे "मई माह के अन्तिम सप्ताह में यास तुफान से हुई अत्यधिक वर्षा के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना" https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।**

2.3 अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** किया जाएगा।

2.4 **अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।**